रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1160] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2005/कार्तिक 12, 1927
No. 1160] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2005/KARTIKA 12, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2005

(आय-कर)

का.आ. 1557(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेइसवां संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :—"

सारणी

विनिधान पद्धति

क्रम सं0	विनिधान	स्तंभ 2 में निर्दिष्ट मदों में विनिधान किए जाने वाले धन की न्यूनतम प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्रीय सरकार की	पच्चीस प्रतिशत

	प्रतिभूतियां; और / अथवा ऐसे म्यूचुअल फंडों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया है, की यूनिटें ;	
(ii)	(क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियों और / अथवा ऐसे म्यूचुअल फंडों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, की यूनिटें ; और / अथवा (ख) अन्य किन्हीं परक्राम्य प्रतिभूतियों में, जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे (iii)(क) के अधीन सम्मिलित के सिवाय, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: और शर्त के बिना प्रत्याभूतित है ।	पंद्रह प्रतिशत
(iii)	(क) किसी लोक वित्तीय संस्था या किसी पब्लिक सैक्टर कम्पनी या किसी पब्लिक सैक्टर बैंक के बांड / प्रतिभूतियां; जिसकी विनिधान श्रेणी रेटिंग कम से कम दो प्रत्यय रेटिंग अभिकरणों से हो; और / अथवा (ख) पब्लिक सैक्टर बैंक द्वारा तीन वर्ष के लिए जारी सावधि जमा प्राप्तियां (टी.डी.आर) और / अथवा	तीस प्रतिशत

	(ग) क्लीयरिंग कारपोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित आनुषंगिक उधार और उधार बाध्यता ।	
(iv)	न्यासियों द्वारा जैसा विनिश्चय किया जाए, उपर्युक्त तीन प्रवर्गों में से किसी में विनिधान	तीस प्रतिशत

परन्तु 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व किए गए विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त किन्हीं धनराशियों में से आबद्धकर जावक घटाकर इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी ;

परन्तु यह और कि न्यासी, अपनी प्राप्ति की संभावनाओं की जोखिम के निर्धारण के अध्यधीन, यदि वे ऐसा निर्णय लें, उक्त सारणी के खंड (i) और खंड (ii) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कुल पोर्टफोलियो को व्यापारयोग्य और गैर व्यापारयोग्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और पूर्ववर्तीय वित्तीय वर्ष के अंत में उक्त पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक को व्यापारयोग्य माना जा सकता है और उसे सक्रिय प्रबंध के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

परन्तु यह और भी कि दूसरे परन्तुक में उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार पोर्टफोलियो को बाजार के लिए चिन्हित किया जाएगा, और म्यूचुअल फंड को जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध आस्ति मूल्य पर आंका जाएगा ;

परन्तु यह और भी कि उक्त सारणी के खंड (i) और खंड (ii) में उल्लिखित विनिधान के अनुपात को ध्यान में रखे बिना किसी भी एकल म्यूचुअल फंड के संबंध में जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में स्थापित किया गया है, किसी न्यास अनाश्रयता किसी भी समय पर इसके कुल पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि न्यासी, उक्त सारणी के खंड (iii) में निर्दिष्ट रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक की रकम किसी ऐसी कम्पनी के शेयरों में जिनकी भारतीय प्रतिभूति और

विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो उधार रेटिंग अभिकरणों से कोई विनिधान श्रेणीकृत है, विनिधान कर सकेंगे ;

परन्तु यह और भी कि न्यासी उक्त सारणी के खंड (iv) में निर्दिष्ट रकम की एक तिहाई से अनधिक रकम पब्लिक सैक्टर कम्पनी से भिन्न किसी कम्पनी के ऋण लिखित में, जिसकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो उधार रेटिंग अभिकरणों से कोई विनिधान श्रेणीकृत है, और /या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड की साधारण शेयर से सहबद्ध स्कीम में, विनिधान कर सकेगी ।

परन्तु यह भी कि इस उपनियम में वर्णित किसी लिखत की रेटिंग की दशा में, जिसकी रेटिंग की जानी है और जो नीचे विनिधान श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो उधार रेटिंग अभिकरणों द्वारा सत्यापित किया गया है, तब ऐसे परक्राम्य से निकासी से विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा और निर्गमित निधियां इस उपनियम की सारणी में उपबन्धित रीति के अनुसार विनिहित की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी कोई रकम जो 31 मार्च, 2005 के पश्चात् किन्तु इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पूर्व 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2005 तक इस निमित्त प्रवृत्त विनिधान रीति के अनुसार विनिहित की गई है, इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विनिहित की गई है, इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति में विनिहित की गई समझी जाएगी ;

स्पष्टीकरण 1 इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति गत वर्ष में निधि में विनिधान योग्य धनराशि की कुल रकम को लागू होगी ।

स्पष्टीकरण 2 - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "लोक वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है ;

(ii) "पब्लिक सैक्टर संस्था" पद का वही अर्थ है जो आय कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (36क) में है, और

(iii) "पब्लिक सैक्टर बैंक" पद का वही अर्थ है जो आय कर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (23घ) में है ।"

[अधिसूचना सं. 220/2005/फा. सं. 142/25/2005–टी.पी.एल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका समय-समय पर संशोधन किया गया था, अन्तिम संशोधन का.आ. 1247(अ) तारीख 8-9-2005 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं0 एफ 5(53)/2002-ईसीबी एण्ड पीआर तारीख 24 जनवरी, 2005 द्वारा मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों, अनुमोदित अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा किए जाने वाले विनिधान का पैटर्न विनिर्दिष्ट किया है । उक्त अधिसूचना 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त हुई है । आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति में निधि के धन के विनिधान से संबंधित उपबंध हैं । अत: अब आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उक्त नियम में आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं0 एफ 5(53)/2002-ईसीबी एण्ड पीआर द्वारा अधिसूचित जा विनिधान के पैटर्न का उक्त नियम में 1 अप्रैल, 2005 से उपबंध किया जा सके, यह वह तारीख है जिससे उक्त अधिसूचना सं0 एफ 5(53)/2002-ईसीबी एण्ड पीआर तारीख 24 जनवरी, 2005 प्रवृत्त हुई थी ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रवर्तन से निर्धारितियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

3205 GI/05 —(2)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2005

(INCOME-TAX)

S.O. 1557(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (23rd Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the first day of April, 2005.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 67, for sub-rule (2) the following shall be substituted, namely:-

"(2) The manner of investment referred to in sub-rule (1) shall be in accordance with the following Table, namely:-

TABLE

INVESTMENT PATTERN

S.No.	Investment	**Minimum percentage of investible moneys to be invested in items referred to in column (2)**
(1)	(2)	(3)
(i)	in Central Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944); and/or units of such Mutual Funds which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities and which are regulated by the Securities and Exchange Board of India,	Twenty five per cent.
(ii)	(a) in Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), created and issued by any State Government, and/or units of such mutual funds which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities and which are regulated by the Securities and Exchange Board of India; and/or (b) in any other negotiable securities the principle whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under (iii)(a) below;	Fifteen per cent.

(iii)	(a) in bonds/securities, of a public financial institution or of a public sector company or of a public sector bank, which have an investment grade rating from at least two credit rating agencies; and/or (b) Term Deposit Receipts (TDR) up to three years issued by public sector banks; and/or (c) in Collateral Borrowing and Lending Obligation (CBLO) issued by Clearing Corporation of India Limited and approved by the Reserve Bank of India	Thirty per cent.
(iv)	to be invested in any of the above three categories, as decided by their Trustees.	Thirty per cent.

Provided that any moneys received on the maturity of investments made prior to the 1st day of April, 2005, reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the manner of investment specified in this sub rule:

Provided further that the trustees, subject to their assessment of the risk-return prospects, may, if they so decide, divide the total portfolio referred to in clause (i) and sub-clause (a) of clause (ii) of the said Table into tradable and non-tradable categories and upto ten per cent. of the said portfolio at the end of the preceding financial year can be treated as tradable and may be used for active management:

Provided also that the tradable portfolio of Government securities mentioned in the second proviso shall be marked to the market and the mutual funds, which have been set up as dedicated funds for investment in Government securities, shall be valued at Net Asset Value at the end of the financial year:

Provided also that irrespective of the proportion of investments stated in clauses (i) and (ii) of the said Table, exposure of a trust to any individual mutual fund which has been set up as a dedicated fund for investment in Government securities, shall not exceed five per cent. of its total portfolio at any point of time:

Provided also that the trustees may invest an amount not exceeding five per cent. out of the amount referred to in clause (iii) of the said Table in the shares of any company which has an investment grade debt rating from at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992):

Provided also that the trustees may invest an amount not exceeding one-third out of the amount referred to in clause (iv) of the said Table in the debt instruments of any company, other than a public sector company, which has an investment grade rating from at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and/or in equity linked scheme of mutual funds regulated by Securities and Exchange Board of India :

Provided also that in the event of the rating of any instruments mentioned in this sub-rule for being rated and their rating falling below the investment grade, as certified by at least two credit rating agencies registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), then the option of exit from such instruments can be exercised and the released funds shall be invested in accordance with the manner provided in the Table of this sub-rule:

Provided also that any amount invested after 31st March, 2005, but on or before the date of issue of this notification in accordance with the manner of investment in force in this behalf from the 1st day of April, 1997 to 31st March, 2005, shall be deemed to have been invested in the manner specified in this sub-rule.

Explanation 1.- The manner of investment specified in this sub-rule shall apply to the aggregate amount of investible moneys with the fund in the previous year.

Explanation 2.- For the purposes of this sub-rule,-
(i) the expression "public financial institutions" shall have the meaning assigned to it in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
(ii) the expression "public sector company" shall have the meaning assigned to it in clause (36A) of section 2 of the Income-tax Act; and
(iii) the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act.".

[Notification No. 220/2005/F. No. 142/25/2005-TPL]

PR[illegible]A S. SAKSENA, Director

Note :—The principal rules were published *vide* Notification No. S.O. 969 dated the 26th March, 1962 which has been amended from time to time, the last amendment being S.O. 1247(E) dated 8-9-2005.

Explanatory Memorandum

The Central Government in the Department of Economic Affairs has specified by notification no F.5(53)/2002-ECB & PR dated the 24th January, 2005, the pattern of investment to be made by recognised provident funds, approved superannuation funds and approved gratuity funds. The said notification has come into force on the 1st day of April, 2005. Rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 contains provisions relating to investment of fund moneys in the manner specified from time to time by the Department of Economic Affairs. It is, therefore, proposed to amend Rule 67 of the Income-tax Rules, 1962 so as to provide in the said rule the pattern of investment notified by notification no F.5(53)/2002-ECB & PR of Department of Economic Affairs, with effect from the 1st April, 2005, being the date from which the said notification no. F.5(53)/2002-ECB & PR, dated the 24th January, 2005 came into force.

It is certified that the retrospective operation of this notification shall not prejudicially affect the interests of the assessees.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.